

107 द० प्र० स०

पथलगड़ी

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी.

भारत सरकार

बनाम

M-65/2018 आदेश पत्रक

जुनास डूयी की

9/5-1/8

अभिलेख संख्या :- एम. 65 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रगारी रूँडी के अप्राथमिकी संख्या :- 18/18

146

9/5

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा अपने गाँव के के पीछे पर पथलगड़ी करना ।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं ..... अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 25/5/18 को उपस्थापित करें ।

9/5/18  
अनुमंडल दण्डाधिकारी

खूँटी

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 20/7/19  
वर्ग 2000।

7/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 17/08/19  
वर्ग 2000।

17/08/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 21/09/19  
वर्ग 2000।

21/09/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 22/10/19  
वर्ग 2000।

1  
30  
21.10.19

22.10.19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 30/11/19  
वर्ग 2000।

~~22.10.19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 3~~

30/12/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक  
28/12/19 वर्ग 2000।

समाप्त बीमा समाप्त रूप में कार्यकारी  
समाप्त को जारी है।

1  
30  
30/12/19